



टी बोर्ड भारत

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी
कोलकाता - 700001

दिनांक: 07.05.2024

कार्यालय ज्ञापन सं.57/2024

कार्यालय ज्ञापन संख्या 51/2024 दिनांक 02.05.2024 के क्रम में, सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि चिकित्सा/एलटीसी प्रतिपूर्ति के प्रयोजन से कर्मचारियों और उनके वैध आश्रितों के डेटाबेस को अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बोर्ड के सभी नियमित कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने आश्रितों का विवरण अनुलग्नक-I में निर्धारित प्रारूप में अनुलग्नक-II में सूचीबद्ध सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें।

बोर्ड के विभिन्न आंचलिक/क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने बोर्ड के नियंत्रण कार्यालयों को निर्धारित प्रारूप में प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करें और बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के मामले में, सभी से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर वित्त शाखा को प्रस्तुत करें, अन्यथा चिकित्सा/एलटीसी प्रतिपूर्ति के दावों पर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।


(आशीष देब)

सहायक सचिव (प्रभारी)

संलग्न: यथेक्त

वितरण:-

1.	बोर्ड मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष	कृपया कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों के समक्ष लाने के अनुरोध सहित।
2.	कार्यकारी निदेशक, कुन्नूर एवं गुवाहाटी	
3.	निदेशक (अनुसंधान), क्यूसीएल	
4.	स.नि.चा.वि, सिलीगुड़ी एवं पालमपुर	
5.	वि.अ. (उ.पश्चिम.भा.), टी बोर्ड, नई दिल्ली	
6.	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
7.	उप अध्यक्ष/सचिव के सचिव	
8.	उप अध्यक्ष /सचिव के निजी सहायक	
9.	आई टी कक्ष	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के सहित।
10.	सचिवालय शाखा	
11.	टीबीईए	
12.	चिकित्सा विंग, वित्त शाखा, कोलकाता	
13.	स्थापना शाखा	अतिरिक्त प्रतियाँ सहित

फाइल सं. 22(चिकित्सा/स्था/90//भाग-III)